बिहार सरकार

जिला पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण कार्यालय

जहानाबाद।

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना के अंतर्गत जहानाबाद जिला में संचालित अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास में शैक्षणिक सत्र 2026–27 में नामांकन लिया जाना है।

उक्त छात्रावास में कुल–39 रिक्तियों के विरूद्ध नामांकन हेतु आवेदन पत्र दिनांक–06.05.26 से 30.05.26 तक ऑनलाईन के माध्यम से लिया जाना है। नामांकन के लिए छात्र https :// bcebconline.bihar.gov.in /cay/default.aspx पर आवेदन निर्धारित तिथि तक कर सकते है। विशेष जानकारी के लिए जिला पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण कार्यालय, जहानाबाद से छात्र/अभिभावक प्रत्येक कार्य दिवस को 10:00 बजे पूर्वाहन से 05:00 अपराह्न तक सम्पर्क कर सकते है।

कुल रिक्ति– 39
(अति पिछड़ा वर्ग–19 एवं पिछड़ा वर्ग–20)

अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास में नामांकन की शर्ते

1– आवेदक पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग का छात्र हो।
2– आवेदक बिहार राज्य का स्थाई निवासी हो।
3– आवेदक जहानाबाद जिला में स्थित किसी भी सरकारी/मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में नामांकित हो।
4– आवेदक मैट्रिक पास होना चाहिए।
5– अर्हता प्राप्त आवेदको में उच्च प्राप्तांक वाले छात्रों को प्राथमिकता दी जायेगी।
6–क्रमानुसार इंटरमीडिएट, स्नातक, स्नातकोत्तर एवं अन्य छात्रों को प्राथमिकता दी जायेगी।
7–5 प्रतिशत सीट दिव्यांग छात्रों के लिए आरक्षित है।

छात्रों की मिलने वाली निःशुल्क सुविधाएँ

1– छात्रों के लिए आवास की सुविधा।
2–सुरक्षा कर्मी, सफाई कर्मी एवं रसोईयाँ।
3–पंखा, बल्व, साइलेंट जनरेटर की सुविधा, बिजली की सुविधा, सी.सी.टी.वी., एवं Wifi.
4–भौतिक लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी, प्रतियोगी पुस्तके, मासिक पत्रिकाएँ एवं दैनिक समाचार पत्र आदि
5–खेलकूद सामग्री।
6–शुद्ध पेय जल की सुविधा।
7– प्रति माह 15 किलोग्राम खाद्यान्न (09 कि०ग्रा० चावल एवं 06 कि०ग्रा० गेहूँ)।
8–प्रति छात्र प्रति माह 2000 (दो हजार) रूपये का छात्रावास अनुदान का लाभ।

आवेदन की प्रक्रिया

1– आवेदन केवल ऑनलाईन माध्यम (https://bcebconline.bihar.gov.in/cay/default.aspx) से ही ली जायेगी।
2–आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित प्रमाण–पत्रों की स्व अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा।
3–आवेदक का पासपोर्ट साईज फोटो–02 प्रति में।
4–आवेदक का जाति, आय एवं निवास प्रमाण–पत्र की छायाप्रति।
5–जहानाबाद जिला में स्थित शिक्षण संस्थानों में नामांकन से संबंधित कागज।
6–आधार कार्ड की स्व अभिप्रमाणित की छायाप्रति।
7–विगत परीक्षा के अंकपत्र की छायाप्रति।
8–बैंक पासबुक की छायाप्रति (खाता संख्या एवं आई०एफ०एस०सी०कोड सहित)
9–छात्रावास में अनुशासन पालन संबंधी शपथ पत्र।

नोट– त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण आवेदन के लिए नामांकन पर विचार नहीं किया जायेगा।

04/05/26

जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग
कल्याण पदाधिकारी, जहानाबाद।

बिहार सरकार
जिला पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण कार्यालय
जहानाबाद।

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना के अंतर्गत जहानाबाद जिला में संचालित जननायक कर्पूरी ठाकुर कल्याण छात्रावास में शैक्षणिक सत्र 2026–27 में नामांकन लिया जाना है। उक्त छात्रावास में कुल–39 रिक्तियों के विरूद्ध नामांकन हेतु आवेदन पत्र दिनांक–08.05.26 से 30.05.26 तक ऑनलाईन के माध्यम से लिया जाना है। नामांकन के लिए छात्र https :// bcebconline.bihar.gov.in /cay/default.aspx पर आवेदन निर्धारित तिथि तक कर सकते है। विशेष जानकारी के लिए जिला पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण कार्यालय, जहानाबाद से छात्र/अभिभावक प्रत्येक कार्य दिवस को 10:00 बजे पूर्वाहन से 05:00 अपराहन तक सम्पर्क कर सकते है।

कुल रिक्ति– 39 (अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों हेतु)

जननायक कर्पूरी ठाकुर कल्याण छात्रावास में नामांकन की शर्तें

1– आवेदक पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग का छात्र हो। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र का आवेदन नहीं प्राप्त होने पर पिछड़ा वर्ग के छात्रों का चयन होगा।
2– आवेदक बिहार राज्य का स्थाई निवासी हो।
3– आवेदक जहानाबाद जिला में स्थित किसी भी सरकारी/मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में नामांकित हो।
4– आवेदक मैट्रिक पास होना चाहिए।
5– अर्हता प्राप्त आवेदको में उच्च प्राप्तांक वाले छात्रों को प्राथमिकता दी जायेगी।
6–क्रमानुसार इंटरमीडिएट, स्नातक, स्नातकोत्तर एवं अन्य छात्रों को प्राथमिकता दी जायेगी।
7–5 प्रतिशत सीट दिव्यांग छात्रों के लिए आरक्षित है।

छात्रों की मिलने वाली निःशुल्क सुविधाएँ

1– छात्रों के लिए आवास की सुविधा।
2– सुरक्षा कर्मी, सफाई कर्मी एवं रसोईयाँ।
3– पंखा, बल्व, साइलेंट जनरेटर की सुविधा, बिजली की सुविधा, सी.सी.टी.वी., एवं Wifi.
4– भौतिक लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी, प्रतियोगी पुस्तके, मासिक पत्रिकाएँ एवं दैनिक समाचार पत्र आदि
5– खेलकूद सामग्री।
6– शुद्ध पेय जल की सुविधा।
7– प्रति माह 15 किलोग्राम खाद्यान्न (09 कि०ग्रा० चावल एवं 06 कि०ग्रा० गेहूँ)।
8– प्रति छात्र प्रति माह 2000 (दो हजार) रूपये का छात्रावास अनुदान का लाभ।

आवेदन की प्रक्रिया

1– आवेदन केवल ऑनलाईन माध्यम (https://bcebconline.bihar.gov.in/cay/default.aspx) से ही ली जायेगी।
2–आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित प्रमाण–पत्रों की स्व अभिप्रमाणित प्रति ऑनलाईन पोर्टल पर संलग्न करना आवश्यक होगा।
3–आवेदक का पासपोर्ट साईज फोटो–02 प्रति में।
4–आवेदक का वैध जाति, आय एवं निवास प्रमाण–पत्र की छायाप्रति।
5–जहानाबाद जिला में स्थित शिक्षण संस्थानों में नामांकन से संबंधित कागज।
6–आधार कार्ड की स्व अभिप्रमाणित की छायाप्रति।
7–विगत परीक्षा के अंकपत्र की छायाप्रति।
8–बैंक पासबुक की छायाप्रति (खाता संख्या एवं आई०एफ०एस०सी०कोड सहित)
9–छात्रावास में अनुशासन पालन संबंधी शपथ पत्र।

नोट– त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण आवेदन के लिए नामांकन पर विचार नहीं किया जायेगा।

04/05/26

जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग
कल्याण पदाधिकारी, जहानाबाद।

बिहार सरकार
ई–मेल–dwojehanabad@gmail.com
dwojehbcebc@gmail.com

समाहरणालय, जहानाबाद

दूरभाष सं॰ 06114-225890

पत्रांक– 272 (जिला पिछडा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण शाखा) दिनांक 04.5.2026

प्रेषक,

जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग
कल्याण पदाधिकारी, जहानाबाद।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग
बिहार पटना।

विषयः– अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास, जहानाबाद एवं जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास में रिक्त बल के विरूद्ध नामांकन की सूचना प्रकाशन करने के संबंध मे।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास, जहानाबाद एवं जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास, जहानाबाद में रिक्त बल के विरूद्ध नामांकन की सूचना प्रकाशन हेतु इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजा जा रहा है।

अतः अनुरोध है कि दो प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में संबंधित सूचना प्रकाशित करने की कृपा की जाए।

अनुलग्नक :– सूचना प्रारूप का हार्ड कॉपी संलग्न।

विश्वासभाजन
(ह॰) 04/05/26
जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग
कल्याण पदाधिकारी, जहानाबाद
04/5/26

ज्ञापांकः– 272 / जहानाबाद दिनांकः– 04 / 5 / 2026.

प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, जहानाबाद को सूचना प्रारूप की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी (NIC) जहानाबाद को सूचना प्रारूप की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(ह॰) 04/05/26
जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग
कल्याण पदाधिकारी, जहानाबाद।
04/5/26

विकसित बिहार के सात निश्चय